न्यायालय अति0जिला कलेक्टर, टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 44/2010
प्रविष्टि दिनांकः– 13.08.2010

रामधन पुत्र छोटू जाति रैबारी निवासी टोरडी तहसील मालपुरा जिला टोंक

....निगरानीकर्ता

बनाम

ग्राम पंचायत टोरडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत टोरडी जिला टोंक

......नॉन निगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0पंचायत अधिनियम 1994

उपस्थितः (1) श्री जितेन्द्र जैन, अभिभाषक निगरानीकर्ता
(2) श्री मनीष कासलीवाल, अभिभाषक नॉन निगरानीकर्ता

निर्णय

दिनांक 27.02.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र निगरानी का सार इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत टोरडी पंचायत समिति मालपुरा द्वारा दिनांक 21.08.2006 को रास्ता निकालने के लिए व रास्ता खुलासा करवाये जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है जिसे निरस्त कराने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गई है।

निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर नॉन निगरानीकर्ता को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली ग्राम पंचायत से तलब की गई। अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता ने दोराने बहस कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 889/2 रकबा 10 बीधा वाके ग्राम टोरडी मे स्थित है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 11/18 तथा 1/9 है,शेष हिस्सा नन्दा पुत्र हीरा आदि का है। इस भूमि मे से होकर बिना किसी अधिकार के ग्राम पंचायत टोरडी ने दिनांक 21.08.2006 को रास्ता निकालने व रास्ता खुलासा करवाये जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। ग्राम पंचायत को खसरा नम्बर 889/2 के संबंध मे किसी भी प्रकार का प्रस्ताव लेने,पारित करने या इसमे सार्वजनिक रूप से रास्ता निकलवाने का कोई हक नही है,क्योकि उक्त भूमि मे प्रार्थी का हित निहित है। प्रार्थी इसका खातेदार काबिज काश्तकार है। इस भूमि मे से होकर न तो पहले कभी रास्ता था ओर न ही किसी रिकार्ड मे रास्ते का अंकन है। तथाकथित प्रस्ताव ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण कौरम अर्थात उपस्थित सदस्यो के पर्याप्त बहुमत की मोजूदगी मे नही लिया गया है। इस पर केवल मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है। इस प्रस्ताव को पंचायत की कौरम व उसकी सर्व सहमति से लिया हुआ प्रस्ताव नही माना जा सकता है। इस प्रकार तथाकथित प्रस्ताव अवैधानिक है। ग्राम पंचायत जबरन बिना किसी अधिकार के प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि मे से होकर रास्ता निकालना चाहती है। ग्राम पंचायत का तर्क है कि पूर्व मे जो रास्ता है उसे खुलासा करवाया जावे। वास्तविकता यह है कि खसरा नम्बर 889/2 रकबा 10 बीघा मे पूर्व मे या

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

वर्तमान मे किसी भी रिकार्ड मे अर्थात नक्शा ट्रेस,खसरा गिरदावरी इत्यादि मे रास्ते का अंकन मोजूद नही है। यह भूमि कभी भी रास्ते के रूप मे अर्थात सार्वजनिक तोर पर उपयोग उपभोग मे नही आयी है,बरसो से मौके पर काश्त होती चली आ रही है। खसरा नम्बर 889/2 रकबा 10 बीघा के संबंध मे सिविल न्यायाधीश मालपुरा मे एक सिविल वाद चला था जो उनवानी रामधन बनाम सूरजकरण आदि का था इस वाद मे न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने पर मौका कमिश्नर ने उक्त भूमि मे से होकर कोई रास्ता होना प्रदर्शित नही किया है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के समक्ष भी इस भूमि के अन्य सकृषक नन्दा,कालू आदि के विरूद्व स्थायी निषेघाज्ञा का वाद पत्र एंव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेघाज्ञा प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को प्रतिपक्षीगण नन्दा आदि के विरूद्व अस्थायी निषेघाज्ञा मिली हुई है। ग्राम पंचायत राजनैतिक रंजिश के कारण बिना किसी अधिकार के प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की उक्त भूमि मे से होकर रास्ता निकालना चाहती है। वार्ड पंच श्रीरामसिंह गुर्जर एंव अन्य पंचो ने गलत रूप से प्रार्थी से केवल रंजिश रखने के कारण ग्राम पंचायत के समक्ष यह प्रस्ताव रखा है। सार्वजनिक रूप से कोई आवेदन धारा 251 राज0टि0एक्ट के तहत ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया था और ऐसी कोई शिकायत भी नही थी कि प्रार्थी ने सार्वजनिक रूप से कोई रास्ता अवरूध कर दिया है। ग्राम पंचायत ने प्रार्थी को बिना सुने व बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना चुपचाप प्रस्ताव लिया है। अतः ग्राम पंचायत टोरडी द्वारा जारी प्रस्ताव दिनांक 21.08.2006 को निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक नॉन निगरानीकर्ता ने जवाबी बहस मे कथन किया कि ग्राम पंचायत टोरडी द्वारा विवादित खसरा नम्बर के संबंध मे सीमाज्ञान कराया था,जिसके नक्शा व मौका रिपोर्ट मे भी रामधन वगै0 कि भूमि मे रास्ता आदि जाना सिद्व नही होता है। वर्तमान मे भी रामधन वगै0 की भूमि खसरा नम्बर 889 मे रास्ता नही जा रहा है और ना ही रामधन ने कोई रास्ता बंद किया है। ग्राम टोरडी के वार्ड नं0 6 मे टोरडी से नमूक्या जाने वाला रास्ता गुर्जरो का मोहल्ला पंचकुन्डा आदि का ग्राम टोरडी आबादी भूमि मे से पश्चिम से रास्ता पूर्व की तरफ मैन रोड से नमूक्या पर सूजा खार के मकान के पास से निकलकर मैन रोड की तरफ जा रहा है जो वर्तमान मे चालू है तथा किसी प्रकार से अवरूद्व नही है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण कि बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहन अध्ययन किया। ग्राम पंचायत टोरडी पंचायत समिति मालपुरा द्वारा दिनांक 21.08.2006 को रास्ता निकालने के लिए व रास्ता खुलासा करवाये जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है।

अभिभाषक निगरानीकर्ता का तर्क है कि प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 889/2 रकबा 10 बीधा वाके ग्राम टोरडी मे स्थित है। ग्राम पंचायत को खसरा नम्बर 889/2 के संबंध मे किसी भी प्रकार का प्रस्ताव लेने,पारित करने या इसमे सार्वजनिक रूप से रास्ता निकलवाने का कोई हक नही है,क्योकि उक्त भूमि मे प्रार्थी का हित निहित है। प्रार्थी इसका खातेदार काबिज काश्तकार है। इस भूमि मे से होकर न तो पहले कभी रास्ता था और न ही किसी रिकार्ड मे रास्ते का अंकन है। तथाकथित प्रस्ताव ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण कौरम अर्थात उपस्थित सदस्यो के पर्याप्त बहुमत की मोजूदगी मे नही लिया गया है। इस पर केवल मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है। इस प्रस्ताव को पंचायत की कौरम व उसकी सर्व सहमति से लिया हुआ प्रस्ताव नही माना जा सकता है। इस प्रकार तथाकथित प्रस्ताव अवैधानिक है। खसरा नम्बर 889/2 रकबा 10 बीघा के संबंध मे सिविल न्यायाधीश मालपुरा मे एक सिविल वाद चला था जो उनवानी रामधन बनाम सूरजकरण आदि का था इस वाद मे न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने पर मौका कमिश्नर ने उक्त भूमि मे से होकर कोई रास्ता होना प्रदर्शित नही किया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

अभिभाषक नॉन निगरानीकर्ता का कथन है कि वर्तमान मे रामधन वगै0 की भूमि खसरा नम्बर 889 मे रास्ता नही जा रहा है और ना ही रामधन ने कोई रास्ता बंद किया है। ग्राम टोरडी के वार्ड नं0 6 मे टोरडी से नमूक्या जाने वाला रास्ता गुर्जरो का मोहल्ला पंचकुन्डा आदि का ग्राम टोरडी आबादी भूमि मे से पश्चिम से रास्ता पूर्व की तरफ मैन रोड से नमूक्या पर सूजा खार के मकान के पास से निकलकर मैन रोड की तरफ जा रहा है जो वर्तमान मे चालू है तथा किसी प्रकार से अवरूद्व नही है।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत टोरडी ने भी वर्तमान मे रामधन वगै0 की भूमि खसरा नम्बर 889 मे रास्ता नही जा रहा है और ना ही रामधन ने कोई रास्ता बंद किया है। रास्ता वर्तमान मे चालू है तथा किसी प्रकार से अवरूद्व नही है स्वीकार किया है। पटवारी हल्का टोरडी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 25.08.2006 से भी जाहिर होता है कि रामधन की भूमि मे से रास्ता नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह साबित होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत टोरडी द्वारा उक्त प्रस्ताव विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ग्राम पंचायत टोरडी की कोरम की सहमति के बिना ही स्वंय के स्तर से जारी किया गया है। अतः सरपंच ग्राम पंचायत टोरडी द्वारा दिनांक 21.08.2006 को जारी प्रस्ताव को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत टोरडी द्वारा दिनांक 21.08.2006 को रास्ता निकालने के लिए व रास्ता खुलासा करवाये जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलेक्टर, टोंक
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.07.07 14:07:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: